

**फर्द अहकाम**  
(नियम-26)

**अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागीर)**

**प्राथीगण**

अजीजन पुडी शकरुदीन पत्नी कालु


**बनाम**

**अप्राथीगण**

असलम वर्ग

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 60 / 2017 T.Z

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इतिवित्त जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जायी हुये।
30.06.2017	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम एवं संशोधित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री शिव कुमार पारासर ने पेश कर अस्थाई निरोधाज्ञा वाबत निवेदन किया।</p> <p>वकील प्राथी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व शपथ पत्र का अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्राथी के पक्ष में सुविधा का सुतंजन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्राथी के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्राथीगण संख्या 1 से 11 के विरुद्ध अस्थाई निरोधाज्ञा जारी कर आदेश दिया जाता है कि आगामी आदेश तक मौजा मोतीनगर के खेत खसरा नं 1483 रकबा 27.01 बीघा , ख नं 1497 रकबा 73.10 बीघा भूमि के बेचान/बक्सीस/हस्तानान्तरण व प्राथी के कब्जे वाले खेत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो रवंय करे न ही किसी अन्य से करावे । अप्राथी संख्या 12 विवादित खेताय के दस्तावेज का पंजीयान न करे व अप्राथी संख्या 13 उपरोक्त खसरान् की यथारिथति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकरों को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी विजवाये। पत्रावली दिनांक 30.06.2017 को पेश हो।</p> <p align="center">   <b>सहायक कलक्टर</b>  <b>(एस.डी.एम.) मुकाम (नागीर)</b> </p> <p align="center">पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीटारकीन अधिवक्तारी की मितिग वे/प्रमण अवकाल पर गवे हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक. 07.02.19..को प्रस्तुत करें।</p>	



3.9.17

2

7.2.18

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीटारकीन अधिवक्तारी की मितिग वे/प्रमण अवकाल पर गवे हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक. 01.06.18..को प्रस्तुत करें।



14.9.18 पञ्जाबी न्याय के इत सिद्धि 2018 के पञ्जाबी पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 18.11.19 को प्रस्तुत करें।

18.1.19 पञ्जाबी न्याय के इत सिद्धि 2018 के पञ्जाबी पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 18.11.19 को प्रस्तुत करें।

17.5.19 पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 5.8.19 को प्रस्तुत करें।

5.8.19 पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4.12.19 को प्रस्तुत करें।

4.12.19 पञ्जाबी न्याय के इत सिद्धि 2018 के पञ्जाबी पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 8.02.20 को प्रस्तुत करें।

3/1/20 वकिल उपाय का प्रमाण के पञ्जाबी कोड 8/4/20 के पत्र हो।

फर्द अहकाम (नियम-26)  
अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)  
बनाम  
मुकदमा नं.: 60/2017

19.5.20 पञ्जाबी न्याय के इत सिद्धि 2018 के पञ्जाबी पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 18-6-20 को प्रस्तुत करें।

21.20 वकील शर्मा उपाय असाधी की तलवी ले लिये गए जो भारतीय से रिया पता है पञ्जाबी सिद्धि 14/9/20 के पत्र हो।

20 वकील शर्मा उपाय असाधी/गुपी की तलवी ले लिये गए जो आज ही जारी हो मिल सिद्धि 29/10/20 के पत्र हो।

21 वकील शर्मा उपाय असाधी/गुपी के लिये असाधी हो सिद्धि 21/11/20 के पत्र हो।

22 पीठासीन अधिकारी की मिति में प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4.2.21 को प्रस्तुत करें।



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
23/8/22	<p>पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी अनुपस्थित।  आवाज लगाई गई। वाद आवाज वकील  प्रार्थी हाजिर नहीं आये हैं तथा ना ही  प्रार्थी का स्वधे उपस्थित है। अतः प्रार्थना पत्र  अदम हाजरी एवं अदम पैरकी में स्वरित किया  जाता है। मिसल नम्बर से कम होकर  वाद जामा कार्यवाही कारिल दफ्तर रहे।</p>	<p>सैजवक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जामल</p>